न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 24/2017
पंजीयन दिनांक 31.01.2017

मै0 अल्ट्राटैक सिमेन्ट लि0बि0विंग आहूरा सैन्टर महाकाली केप्सरौड अंधेरी(इस्ट) मुम्बई की ईकाई आदित्य सीमेन्ट वर्क्स, आदित्य पुरम, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ जरिये उप महा प्रबंधक रमेशचन्द्र पिता राम अवध त्रिपाठी।

-अपीलांट

बनाम

(1). मदनलाल पिता नाथूलाल जाति सुथार निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(2). बगदीबाई पुत्री नाथूलाल जाति सुथार निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 155/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). सत्यनारायण ईनाणी-अधिवक्ता अपीलांट
(2). मालम सिंह पंवार- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). छोगालाल जाट-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय **दिनांक 30.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सावा तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 1935, 1956, 1957, 1959, 1968 किता 5 रकबा 3.36 हैक्टेयर स्थित है जो स्वर्गीय नाथूलाल सुथार की खातेदारी की होकर उनके स्वर्गवास के बाद उसके पांच पुत्रों एवं पुत्री के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हुई। स्वर्गीय नाथू के पुत्र लालाराम, शंकरलाल, मदनलाल, बाबूलाल, गोपाललाल प्रत्येक को 1/6 हक व पिता के 1/6 हक मे उत्तराधिकार से 1/36 अर्थात कुल 7/36 हक व हिस्सा प्राप्त हुआ है एवं पुत्री बगदी बाई के उत्तराधिकार मे पिता के हक मे से 1/36 हिस्सा प्राप्त हुआ है। बाद मे लालूराम का स्वर्गवास हो गया और उसका हिस्सा उसके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज हुआ जिनसे व अन्य तीन भाई शंकरलाल,

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बाबूलाल, गोपाललाल से यानि 4 भाईयों का हक वादी अपीलांट ने खरीद लिया तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के 7/36 व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/36 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में यथावत रहा। नामान्तरण संख्या 2028 दिनांक 28.05.2014 को न्यायालय आदेश का हवाला देकर वादी अपीलांट का 2/3 , प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/6 , प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/36 के बजाय 1/6 हक हिस्सा दर्ज कर दिया जिसकी वादी अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई। बाद मे जांच करने पर प्रकट हुआ कि इन्तकाल संख्या 691 दिनांक 29.03.1996 के विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत की जिसमे मूल खातेदार को तो पक्षकार बनाया किन्तु वादी अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया । न्यायालय हाजा का उपरोक्त निर्णय अनुचित एवं अवैध होकर निरस्त योग्य है। अपील मे वादी अपीलांट को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर तक नहीं दिया गया। बाबूलाल का स्वर्गवास 2005 से पूर्व ही हो जाने से आराजीयात के पुश्तैनी होने से प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कोपार्सनर न होने से पिता के 1/6 हिस्से मे से 1/36 हिस्सा ही प्राप्त करने की अधिकारिणी थी । अपील मे जानबूझकर वादी अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय वादी अपीलांट के हक अधिकारों के मुकाबले अवैध एवं शून्य है। जिससे राजस्व रेकॉर्ड मे पुनः संशोधन किया जाना आवश्यक है। राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हिस्से मे 1/6 हिस्सा दर्ज होने के कारण प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 आराजी को हस्तांतरित करने की धमकी देने लगी है, जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अन्त मे वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 17.09.2013 के आधार पर खोला गया नामान्तरण संख्या 2088 दिनांक 28.05.2014 अवैध होकर वादी अपीलांट के हक अधिकारों के मुकाबले शून्य घोषित फरमाया जावे तथा वादग्रस्त कृषि आराजीयात मे वादी अपीलांट का 28/36 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 7/36 हिस्सा तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/36 हक हिस्सा पुनः राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित करने के साथ प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजीयात का किसी प्रकार से दीगर को हस्तांतरण नहीं करे और न किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से दिनांक 17.06.2015 को पत्रावली मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र को रेकॉर्ड पर लिये बगैर दिनांक 15.07.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान मे निगरानी प्रकरण संख्या 2922/2015 विचाराधीन होना बताकर वादी अपीलांट की ओर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रस्तुत वादपत्र चलने योग्य नहीं होना बताकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने प्रथम अपील इस न्यायायल मे प्रस्तुत की है।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट वादी ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। पत्रावली प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की तामील व जवाब हेतु नियत थी जिसे अपीलांट वादी की बिना जानकारी के दिनांक 15.07.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के वादी अपीलांट को सुने बिना ही वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान मे निगरानी प्रकरण संख्या 2922/2015 विचाराधीन होना बताकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र चलने योग्य नहीं होना बताकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की है, जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व लोक अदालत मे वे ही प्रकरण निर्णित किये जा सकते है जिनमे उभय पक्षकारान के मध्य लिखित राजीनामा हो जाये जबकि हस्तगत प्रकरण मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर वादी अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता की उपस्थिति होना बताकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व मण्डल मे कोई निगरानी विचाराधीन होना मानकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की है जबकि नामान्तरण के किसी आदेश बाबत यदि कोई निगरानी विचाराधीन भी हो तो उस आराजीयात के संबंध मे वादपत्र प्रस्तुत किये जाने मे किसी प्रकार की कानूनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

…या नही है और यदि कोई स्थगन आदेश हो तब भी वादपत्र चलने योग्य नहीं होना मानकर खारिज नही किया जा सकता है। उक्त कानूनी बिन्दु की अवहेलना अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की जाकर निर्णय व डिकी पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उपस्थित हुई व अपनी ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरण के विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे विचाराधीन है। यदि अपीलांट वादी प्रभावित पक्षकार है तो संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध निगरानी किये जाने हेतु स्वतंत्र है। नया वाद प्रस्तुत करने का अपीलांट वादी को कोई अधिकार नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 15.07.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान मे निगरानी प्रकरण संख्या 2922/2015 विचाराधीन होने से वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र चलने योग्य नहीं होने से वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन था । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से दिनांक 17.06.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने यह आपत्ति उठाई कि अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विधि के द्वारा वर्जित होने से चलने योग्य नहीं है। जिसका निस्तारण जवाब प्रार्थना पत्र लिया जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत था फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली को लोक अदालत कैम्प पाण्डोली मे नियत किया जाकर अपीलांट वादी को बिना सुने व बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत राजस्व मण्डल मे उक्त आराजीयात से संबंधित प्रकरण विचाराधीन होना मानते हुए वादपत्र को गुणावगुण पर निर्णित कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादपत्र को निरस्त किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की है जबकि लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है जिसमे उभय पक्षकारान उपस्थित होकर राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण चाहते हो, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 155/2014 निर्णय व डिकी दिनांक 15.07.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का जवाब लिया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रार्थना विधि सम्मत निस्तारण करते हुए गुणावगुण पर, अजसरे, नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 14.11.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)